



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक एफ 19 (1) () / WE/SHG/BA-120/RS-CIT/2019-20 2531

दिनांक 21/1/2022

आदेश

विषय : इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में महिलाओं/बालिकाओं को RKCL के माध्यम से RS-CIT, RS-CFA एवं RS-CSEP कोर्स के प्रशिक्षण हेतु आवेदन के लिए दिनांक 23.1.2022 तक पुन लिंक को रीओपन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना अंतर्गत महिलाओं/बालिकाओं को राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) के माध्यम से वर्ष 2021-22 में निःशुल्क RS-CIT, RS-CFA एवं RS-CSEP कोर्स के प्रशिक्षण हेतु पूर्व में निर्धारित तिथि दिनांक 15.01.2022 तक कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन करते समय सर्वर तथा नेटवर्क की समस्या के कारण आवेदन करने से वंचित रह गए थे। आवेदन करने से वंचित रह गए आवेदक पुनः आवेदन कर सकें, इस हेतु दिनांक 23.01.2022 तक के लिए ऑनलाईन आवेदन के लिंक को रीओपन कर दिया गया है। अतः योजनान्तर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक महिलाओं/बालिकाओं को आवेदन कराना सुनिश्चित करावें।

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता
राज., जयपुर

क्रमांक एफ 19 (1) () / WE/SHG/BA-120/RS-CIT/2019-20 2532-34 दिनांक 21/1/2022
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, 7-ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
2. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जिला समस्त।
3. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. रक्षित आदेश।

अति० निदेशक, एसएचजी.